# पाँचवां अध्याय - वाहनों पर कर

## कार्यपालिक सारांश

| | |
|---|---|
| **इस अध्याय में हमने क्या मुख्यांकित किया है** | इस अध्याय में हमने परिवहन विभाग में ₹ 17.89 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणो को प्रस्तुत किया है जिसे हमने अभिलेखो की नमूना जाँच के दौरान पाया। हमने परिवहन विभाग में मालयान एवं यात्रीयान के स्वामियों से कर एवं शास्ति की अवसूली, व्यवसायियों पर ट्रेड फीस का अनारोपण/कम आरोपण, गलत बैठक क्षमता आवंटित करने के कारण वाहन कर का कम आरोपण, प्रवेश कर का संदाय किए बिना वाहनो का पंजीयन एवं व्यापार कर का कम आरोपण से संबंधित बहुत से उदाहरण पाया है। |
| **कर संग्रहण में वृद्धि** | यद्दपि वास्तविक प्राप्तियाँ में 2007-08 में 6.75 प्रतिशत तथा 2008-09 में 0.55 प्रतिशत गिरावट थी लेकिन वही 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में इनमे क्रमशः 0.12 प्रतिशत, 4.27 प्रतिशत एवं 5.72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। |
| **आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा लक्ष्य प्राप्त नही किया जाना** | वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग द्वारा 16 ईकाईयाँ आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु चयनित की गयी जिसमे से केवल 06 ईकाईयों की लेखा परीक्षा की गई। |
| **2011-12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम** | हमने वर्ष 2011-12 में परिवहन विभाग से संबंधित नौ ईकाईयों की अभिलेखो की नमूना जाँच की एवं 2,423 प्रकरणों में ₹ 22.13 करोड़ के वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण, ट्रेड टैक्स एवं ट्रेड फीस के कम आरोपण से राजस्व हानि का पता लगाया।<br>विभाग ने 2,282 प्रकरणों में ₹ 19.06 करोड़ के वाहनों पर कर का अनारोपण, राजस्व हानि एवं अन्य अनियमित्ताओं को स्वीकार किया। |
| **हमारा निष्कर्ष** | विभाग को अपने आंतरिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में भी सुधार लाने की आवश्यकता है जिससे कि प्रणाली में व्याप्त कमियों को सुधारा जा सके एवं हमारे द्वारा संज्ञान में लायी गयी कमियों का भविष्य में टाला जा सके।<br>हमारे द्वारा इंगित किये गये कर की अवसूली, कम आरोपण इत्यादि को वसूल करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, विशेष रूप से उन प्रकरणो में, जिनमें हमारी आपत्तियों को मान्य किया गया है। |

## 5.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य के प्रमुख राजस्व संग्रहणकर्ता विभागों में से एक है। राज्य में वाहनो पर कर का आरोपण एवं संग्रहण छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम,1991 और प्रावधानों के अन्तर्गत समय-समय पर इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। व्यापार कर के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस, अन्य फीस जैसे पंजीयन फीस, फिटनेस फीस और अनुज्ञा फीस, मोटरयान अधिनियम 1988 और उसके अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार आरोपणीय है। समय पर करों के भुगतान न होने की स्थिति में निर्धारित दर से शास्ति और ब्याज भी आरोपणीय है। गैर परिवहन यानों के प्रकरण में कर की प्राप्ति जीवनकाल कर के रूप में एकमुश्त जबकि परिवहन यानों से कर और अतिरिक्त कर उक्त अधिनियम में विहित दरों से मासिक/त्रैमासिक रूप में किया जाता है।

विभाग निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमो का अनुसरण करता हैः-

- मोटरयान अधिनियम, 1988 (मो. या. अधिनियम);
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 (के. मो. या. नियम);
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम (छ. ग. मो. या. क. अ.)1991 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम; और
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम,1994

मोटरयानों पर कर के उदग्रहण का प्रशासन, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त (प. आ.) द्वारा किया जाता है जिन्हे मुख्यालय स्तर पर सहायता प्रदान करने हेतु एक अति प. आ., एक संयुक्त प. आ., एक सहायक प. आ. एवं एक उप संचालक (उ.सं.वि.) होते है। इसके अतिरिक्त तीन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी(क्षे. प. अ.), तीन अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी.(अति. क्षे. प. अ.),दस जिला परिवहन अधिकारी (जि. प. अ.),परिवहन आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में होते है। इसके अतिरिक्त पंद्रह चेक पोस्ट एवं दो उप चेक पोस्ट संबंधित क्षे. प. अ./ अति. क्षे. प. अ./ जि. प. अ. के पर्यवेक्षी नियंत्रण में रहते है।

## 5.2 वाहनों पर कर से प्राप्त राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान वाहनों पर कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियाँ उस अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है :

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | बजट अनुमान | वास्तविक प्राप्तियाँ | अंतर कमी (-)/ अधिक (+) | अंतर का प्रतिशत (कॉलम 2 से 3) | राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ | कुल कर प्राप्तियों में वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 297.00 | 276.94 | (-) 20.06 | (-) 6.75 | 5618.08 | 4.93 |
| 2008-09 | 315.50 | 313.78 | (-) 1.72 | (-) 0.55 | 6593.72 | 4.76 |
| 2009-10 | 351.47 | 351.88 | (+) 0.41 | 0.12 | 7123.25 | 4.94 |
| 2010-11 | 410.00 | 427.52 | (+) 17.52 | 4.27 | 9005.14 | 4.75 |
| 2011-12 | 475.00 | 502.18 | (+) 27.18 | 5.72 | 10712.25 | 4.69 |

*(स्रोतः- छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)*

हमने पाया कि वर्ष 2011-12 के दौरान वित्त विभाग ने परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित किये गये ₹ 465.87 करोड़ के विरूद्ध ₹ 475.00 करोड़ के प्रस्ताव को सहमति दी।

वर्ष 2011-12 के दौरान परिवहन विभाग ने राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का कारण जीवनकाल कर की दरों में वृद्धि एवं विभाग द्वारा वसूली हेतु किये गये अतिरिक्त प्रयासों को दिया।

## 5.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2012 की स्थिति में ₹ 9.50 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 4.15 करोड़ का बकाया पाँच वर्षो से अधिक समय से था। निम्नलिखित तालिका वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के बकाया राजस्व की स्थिति प्रदर्शित करती है :

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | बकायों का प्रारम्भिक शेष | बकायों का अंतशेष |
|---|---|---|
| 2007-08 | 4.15 | 3.92 |
| 2008-09 | 3.92 | 4.01 |
| 2009-10 | 4.01 | 8.57 |
| 2010-11 | 8.57 | 14.65 |
| 2011-12 | 14.65 | 9.50 |

*(स्रोत :- परिवहन विभाग द्वारा दिये गये आकड़ें)*

## 5.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी संगठन का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ.ले.प.शा.) आंतरिक नियंत्रण संरचना का महत्वपूर्ण भाग होता है एवं इसे सामान्यतः सभी नियंत्रणों का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को यह आश्वासन देने योग्य बनाती है कि निर्धारित पद्धतियाँ उचित रूप से कार्यशील हैं।

हमने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में दो वरिष्ठ लेखापरीक्षको एवं चार कनिष्ठ लेखा परीक्षको की स्वीकृत पदो के विरूद्ध दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं दो सहायक ग्रेड पदस्थापित थे। आगे विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार यद्दपि विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान 16 ईकाईयों की लेखापरीक्षा हेतु योजना बनाई थी तथापि केवल छह ईकाईयों की ही लेखापरीक्षा वर्ष भर के दौरान हो पायी। ₹ 1.27 करोड़ राशि के 35 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ उठाई गयी एवं आ. ले. प. शा. द्वारा संबंधित ईकाईयों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि आ.ले.प.शा. के स्टाफ को भी मुख्यालय पर महालेखाकार से प्राप्त पत्रों का निस्तारण एवं लोक लेखा समिति से प्राप्त कंडिकाओं के निराकरण हेतु संबद्द किया गया था। अतः लेखा परीक्षा हेतु चयनित सभी ईकाईयाँ पूरी नहीं जी जा सकी। आगे यह भी कहा गया कि शेष ईकाईयों की लेखा परीक्षा शीध्र पूरी कर ली जावेगी। इसी संदर्भ मे यह कहा गया कि आ. ले. प. शाखा द्वारा उठाई गयी

कुल आपत्ति में से ₹ 2.37 लाख की वसूली भी एक इकाई द्वारा की गयी (दिसम्बर 2012 तक)।

**हम सुझाव देते है कि विभाग नियमित रूप से लेखा परीक्षा करने के लिए अतिरिक्त मानव क्षमता को नियुक्त करें।**

## 5.5 संग्रहण की लागत

सकल संग्रहण पर व्यय के संसगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत सहित वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान यान पर कर का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किए गए व्यय एवं पूर्व वर्षों के सकल संग्रहण पर किए गए व्यय निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | संग्रहण | राजस्व संग्रहण पर व्यय | संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत | विगत वर्ष के संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 351.88 | 7.39 | 2.10 | 2.93 |
| 2010-11 | 427.52 | 7.93 | 1.85 | 3.07 |
| 2011-12 | 502.18 | 10.00 | 1.99 | 3.71 |

*(स्रोतः- छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)*

हमने पाया कि वर्ष भर के दौरान विभाग द्वारा संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता में विचलन था। यद्दपि 2009-10 की तुलना में 2010-11 में विभाग की संग्रहण की लागत घट गयी थी परन्तु वही पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में बढ़ गयी थी। लेकिन संग्रहण की लागत का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से तुलना करने पर कम ही था,जिसकी सराहना की जाती है।

## 5.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

**5.6.1 - निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति (नि प्र):** वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान हमने लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से कर और शास्ति की अवसूली,कर का अनारोपण और राजस्व हानि के ₹ 39.27 करोड के 4161 प्रकरणों को इंगित किया था, जिसमें से शासन ने ₹ 16.36 करोड़ के 2467 प्रकरणों को मान्य किया। विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

*(₹ करोड़ में)*

| निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्ष | लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या | आक्षेपित राशि | | स्वीकृत राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रकरणों की संख्या | राशि | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| 2006-07 | 2 | 15 | 3.10 | 12 | 2.89 |
| 2007-08 | 7 | 1686 | 14.18 | 1051 | 7.61 |
| 2008-09 | 8 | 1758 | 11.89 | 746 | 3.89 |
| 2009-10 | 11 | 345 | 6.85 | 344 | 0.89 |
| 2010-11 | 3 | 357 | 3.25 | 314 | 1.08 |
| **योग** | | **4161** | **39.27** | **2467** | **16.36** |

**5.6.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति :** वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से ₹ 17.69 करोड़ की कर और शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण,से संबंधित प्रकरण इंगित किये थे। विभाग ने इनमें से ₹ 11.10 करोड़ के आपत्तियाँ स्वीकार कर ₹ 2.13 करोड़ की वसूली (मार्च 2012 तक) की, जो निम्न तालिका में दर्शित है :

*(₹ करोड़ में)*

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | कुल राशि | स्वीकृत राशि | मार्च 2012 तक वसूल की राशि |
|---|---|---|---|
| 2006-07 | 1.27 | 1.27 | 0.30 |
| 2007-08 | 6.69 | 3.58 | 0.96 |
| 2008-09 | 3.48 | 0.12 | 0.29 |
| 2009-10 | 5.95 | 5.86 | 0.58 |
| 2010-11 | 0.30 | 0.27 | निरंक |
| **योग** | **17.69** | **11.10** | **2.13** |

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाये गये स्वीकार्य प्रकरणों में विभाग द्वारा केवल 19.19 प्रतिशत की वसूली की गयी थी।

## 5.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने परिवहन विभाग के नौ ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में वर्ष 2011-12 के दौरान मोटरयान कर एवं शास्ति की अ/कम वसूली, कर का अनारोपण एवं राजस्व की हानि, व्यापार कर एवं शुल्क का कम आरोपण राशि ₹ 22.13 करोड़ के 2423 प्रकरणों को इंगित किया, जिन्हे मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

*(₹ करोड़ में)*

| स.क्र. | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | व्यापार कर की कम वसूली | 517 | 9.09 |
| 2. | कर एवं शास्ति की अवसूली | 1493 | 10.59 |
| 3. | अन्य अनियमितताएं | 413 | 2.45 |
| **योग** | | **2423** | **22.13** |

2011-12 के दौरान विभाग ने 2282 प्रकरणो में वाहनों पर कर के अनारोपण,राजस्व की हानि एवं अन्य अनियमितताओं ₹ 19.06 करोड़ को स्वीकार किया।

₹ 17.89 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे कंडिकाओं में वर्णित है।

## 5.8 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने कई परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की एवं अधिनियम/ नियम/ शासकीय अधिसूचनाएं/ निर्देशों के पालन न होने से कर के अनारोपण/ कम आरोपण के अनेक प्रकरण प्रकाश में आये जो इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित है। ये

उदाहरणात्मक प्रकरण है एवं हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित है। जो विभागीय कार्यवाही में कमियों को दर्शाता है। यद्धपि हम प्रत्येक वर्ष परिवहन अधिकारियों द्वारा विस्मृत समान प्रकरण को उठाते है लेकिन अनियमितताएं न केवल बनी रहती है बल्कि लेखापरीक्षा के होने तक संज्ञान में नहीं आती। अतः शासन को इस प्रकार की अनियमितता का दोहराव न होने देने के लिए नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करने की आवश्यकता है।

## 5.9 व्यवसायियों से व्यापार फीस की कम/अवसूली

केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 33 के अनुसार किसी व्यवसायी के कब्जे में रखा मोटरयान पंजीयन की अनिवार्यता से इस शर्त पर छूट प्राप्त होगा कि वह अपने व्यवसाय क्षेत्र की अधिकारिता सीमा के भीतर स्थित पंजीयन प्राधिकारी से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। नियम 39 के अनुसार एक व्यापार पंजीयन चिन्ह को एक समय में एक से ज्यादा वाहनो पर अथवा उस श्रेणी से भिन्न जिसके लिए व्यापार प्रमाण् पत्र दिया गया है उपयोग नहीं किया जा सकता। आगे नियम 34 (1) के अनुसार व्यापार प्रमाण पत्र के नवीन अथवा नवीनीकरण आवेदन के साथ नियम 81 में वर्णित फीस भी संलग्न होनी चाहिए।

तीन[1] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, दो[2] अति क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों एवं जिला परिवहन अधिकारी महासमुंद के पंजीयन अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2011 से फरवरी 2012 के बीच) में हमने पाया कि 2008-09 से 2010-11 के बीच 286 व्यवसायियों द्वारा 4,59,832 मोटर साइकल/मोपेड़ एवं 1,07,355 अन्य वाहन पंजीकृत किए गए। नियमानुसार इन वाहनों से ₹ 4.44 करोड़ ट्रेड फीस वसूलनीय थी (***परिशिष्ट 5.1*** में दर्शित)। यद्दपि दो[3] परिवहन अधिकारियों द्वारा ₹ 1.82 करोड़ की जगह केवल ₹ 1.41 लाख आरोपित एवं वसूल किया गया। बाकी चार[4] परिवहन अधिकारियों द्वारा 3,30,988 वाहनो से कोई ट्रेड फीस न तो आरोपित और न ही वसूल किया गया। इसके चलते ₹ 4.43 करोड़[5] की ट्रेड फीस का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

हमने शासन/विभाग को यह प्रकरण सूचित (मार्च 2012 से मई 2012) किया तो विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ₹ 9.37 लाख की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

[1] अम्बिकापुर, बिलासपुर एवं रायपुर
[2] दुर्ग एवं राजनांदगाँव
[3] बिलासपुर एवं दुर्ग
[4] अम्बिकापुर, महासमुंद, रायपुर एवं राजनांदगाँव
[5] ट्रेड फीस का अनारोपण- ₹ 2.63 करोड़, ट्रेड फीस का कम आरोपण- ₹ 1.80 करोड़

### 5.10.1 यात्री यान एवं मालयान के स्वामियों से कर की अवसूली

छ. ग. मो. क. अधिनियम की धारा 3 एवं 5 के अनुसार वाहन जो कि राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग हेतु रखे गये है पर प्रथम अनुसूची में उल्लेखित दर के अनुसार कर आरोपित किया जावेगा। यदि शोध्य कर का संदाय नहीं किया गया है तो वाहन स्वामी शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिये कर की असंदत रकम के एक बारहवें की दर से किंतु रकम से अनाधिक ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा जो अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार अधिरोपित की गई है। यदि कोई वाहन स्वामी शोध्य कर शास्ति अथवा दोनों का संदाय करने में असफल रहता है तो कराधान अधिकारी को चाहिए की मांग पत्र जारी करके राशि को भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करें। संदर्भित अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी किसी निश्चित समयावधि के लिए अपने वाहन को आफ रोड रखना चाहता है तो उसे वह समयावधि प्रारम्भ होने के पूर्व प्रारूप ट में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होता है।

दस[6] परिवहन कार्यालयों के कर रजिस्टर की नमूना जाँच (अक्टूबर 2010 से सितम्बर 2011) में पाया गया कि यद्दपि 718 मालयानो, 233 मैक्सी केब एवं 527 यात्रीयानो के स्वामियों ने अवधि अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2011 के बीच का पथ कर ₹ 9.09 करोड़ (**परिशिष्ट 5.2** में दर्शित) संदाय नहीं किया। इन वाहन के स्वामियों द्वारा आफ रोड घोषणापत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद परिवहन अधिकारियों ने इन डिफाल्टर वाहन स्वामियों से कर की वसूली हेतु मांग पत्र जारी करने हेतु कोई कदम नहीं उठाए। इसके चलते ₹ 9.09 करोड़ का कर वसूल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, असंदत रकम पर शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमने शासन/विभाग को उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित किया (मार्च 2012 से मई 2012 के बीच)। उत्तर में विभाग ने कहा (मई 2012) कि ₹ 17.22 लाख की वसूली पहले ही की जा चुकी है एवं पाँच परिवहन अधिकारियों (अम्बिकापुर, धमतरी, कवर्धा, कोरिया एवं राजनांदगाँव) द्वारा ₹ 19.79 लाख की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किए जा चुक है। अन्य पाँच परिवहन अधिकारियों के संदर्भ में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2012)।

### 5.10.2 मंजिली गाड़ी परमिट पर प्रचालित वाहनो से वाहन कर की कम वसूली

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर के करारोपण रजिस्टर की नमूना जाँच (जुलाई 2011) में हमने पाया कि मंजिली गाड़ी परमिट पर प्रचालित आठ वाहनों के वाहन स्वामियों से ₹ 17.45 लाख (अप्रैल 2010 से मार्च 2011) वाहन कर के रूप में बकाया था। इसके विपरीत केवल ₹ 12.22 लाख ही क्षे. प. अ. द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किया गया एवं

[6] क्षे. प. अ. अम्बिकापुर, बिलासपुर एवं रायपुर, अति क्षे प अ दुर्ग एवं राजनांदगाँव, जि. प. अ. धमतरी, जांजगीर, कवर्धा, कोरिया एवं महासमुंद

शेष राशि ₹ 5.23 लाख वसूलने के कोई प्रयास नहीं किए गए (***परिशिष्ट 5.3*** में दर्शित)। इसके चलते ₹ 5.23 लाख के कर का कम वसूली हुआ। इसके अतिरिक्त असंदायित रकम पर अधिनियम की धारा 13 के अधीन शास्ति ₹ 5.23 लाख भी आरोपणीय था।

हमने विभाग/शासन को उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित (अप्रैल 2012) किया। विभाग ने कहा (मई 2012) कि मांग पत्र जारी किए जा चुके है।

## 5.11 बैठक क्षमता की गलत गणना से वाहन कर का कम आरोपण

छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994, के नियम 158 के उप नियम 3 के अनुसार किसी मंजिली गाड़ी जिसका व्हील बेस 166 इंच (4200 एम एम) हो, की बैठक क्षमता 46 सीट से कम नहीं होगी । मंजिली गाड़ी पर कर का आरोपण उसकी बैठक क्षमता एवं तय की गयी दूरी पर आधारित होता है।

हमने दो[7] क्षे. प. अधिकारियों के पंजीयन अभिलेखों की जाँच में पाया (जुलाई से सितम्बर 2011) कि चार यात्री वाहन क्षे प अ द्वारा 32 एवं 41 बैठक क्षमता के साथ पंजीकृत किये गये (मार्च 2010 से जनवरी 2011 के बीच) जबकि वाहनों का व्हील बेस 166 इंच था। इसके चलते कर के रूप में वाहन स्वामियों पर ₹ 3.46 लाख[8] का कम आरोपण हुआ।

हमने विभाग/शासन के उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित (जून 2012) किया। विभाग ने उत्तर (सितम्बर 2012) में कहा कि छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994, के नियम नियम 158 के उप नियम 3 में संशोधन हेतु एक अधिसूचना जारी की गयी है जिसमें तीन श्रेणी के व्हील बेस को नौ श्रेणी के व्हील बेस से प्रतिस्थापित किया गया है एवं लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए रकम को वसूलने के प्रयास किए जा रहे है।

7 बिलासपुर एवं रायपुर

8

| वाहन क्र. | सीट की हानि | प्रति सीट कर का आरोपण (₹ में) | परमिट माह (12 माह * 5वर्ष) | राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|
| CG 04 E - 2126 | 5 | 160 | 60 | 4800 |
| CG 04 E - 2120 | 5 | 160 | 60 | 4800 |
| CG 10 G - 0774 | 14 | 160 | 60 | 134400 |
| CG 10 G - 0756 | 12 | 160 | 60 | 115200 |
| **योग** | | | | 345600 |

## 5.12 प्रवेश कर का संदाय किए बिना वाहनों का पंजीयन

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम 1976, की धारा 3-A एवं अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल 1999 एवं 2 अप्रैल 2007 के अनुसार 10 प्रतिशत का प्रवेश कर उस वाहन स्वामी पर आरोपणीय होगा जो अन्य राज्य से वाहन खरीद कर छत्तीसगढ़ राज्य में स्वयं के उपयोग के लिए लाता है। छत्तीसगढ़ शासन ने अधिसूचना दिनांक 2 अगस्त 2002 द्वारा क्षे.प.अ. को उनकी अधिकारिता सीमा के भीतर वाहनों पर उक्त अधिनियम की धारा 3-A के प्रावधानों को लागू करने हेतु अधिकृत किया है।

जिला परिवहन अधिकारी, कांकेर के पंजीयन प्रकरणो की जाँच (मार्च 2012) में हमने पाया कि अक्टूबर 2009 से अप्रैल 2011 के बीच 10 वाहन (***परिशिष्ट 4.5*** में दर्शित) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से स्वंय के उपयोग के लिए खरीदे गये थे। अप्रैल 1999 एवं अप्रैल 2007 के अधिसूचना के अनुसार पंजीयन के पहले इन वाहनों के स्वामियों पर ₹ 6.13 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था। तथापि जि.प.अधिकारी कांकेर द्वारा इन वाहनों को बिना कर का संदाय किए पंजीकृत किया गया। जि. प. अ. कांकेर द्वारा न तो नियमानुसार प्रवेश कर संग्रहित किया गया और न ही वाणिज्य कर विभाग से कर भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। इसके कारण ₹ 6.13 लाख के कर का अनारोपण हुआ।

हमने विभाग/शासन के उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित (जून 2012) किया। विभाग ने उत्तर (अगस्त 2012) दिया कि संबंधित जि. प. अ. को प्रवेश कर के अनारोपण के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

## 5.13 व्यवसायियों से ट्रेड टैक्स की कम वसूली

छ. ग. मो. या. क. अधिनियम की धारा 4 सहपठित के. मो. या. नियम, के नियम 33 के अनुसार व्यवसायियों जिसे मोटर यान अधिनियम,1988 के अधीन व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह अपने व्यापार के अनुक्रम में अपने कब्जे में रखे वाहनों के संदर्भ में ट्रेड टैक्स का संदाय करेंगा। आगे छ. ग. मो. या. क. अधिनियम की तृतीय अनुसूची में व्यवसायियों के कब्जे में उसके व्यापार के अनुक्रम में रखे प्रथम सात वाहन एवं अतिरिक्त सात वाहन के लाट के लिए ट्रेड टैक्स की दर निर्धारित है।

के. मो. या. नियम 1989 के नियम 43 (1) के अनुसार व्यवसाय प्रमाण पत्र के प्रत्येक धारक को दोहरी प्रति में एक रजिस्टर फार्म 19 का संधारण करना होगा जोकि एक सजिल्द पुस्तक होगी एवं पन्ने एक क्रम से होंगे। आगे नियम 43 के उप नियम 3 के अनुसार रजिस्टर और दोहरी प्रति पंजीयन प्राधिकारी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

सात[9] परिवहन अधिकारियों के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2010 से फरवरी 2012 के बीच) में पाया गया कि 336 व्यवसायियों ने अपने संबंधित परिवहन अधिकारियों से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तथापि हमने पाया कि परिवहन अधिकारियों के पास व्यवसायियों के कब्जे में रखे वाहनो के संबंध में कोई अभिलेख का संधारण नहीं किया जा रहा था, इसके चलते व्यवसायियों के पास रखे वाहनो की वास्तविक संख्या निश्चित नहीं की जा सकता है। लेखापरीक्षा के दौरान (अप्रैल 2008 से सितम्बर 2011) विभिन्न श्रेणी के 230686 वाहन (***परिशिष्ट 5.5*** में दर्शित) पंजीकृत किए गए। परिवहन अधिकारियों द्वारा किए गए पंजीयन के आधार पर व्यवसायियों से ट्रेड टैक्स ₹ 4.22 करोड़ वसूलनीय था। इसके विपरीत केवल ₹ 5.05 लाख आरोपित एवं वसूल किया गया। अतः पंजीयन अधिकारियों द्वारा फार्म 19 में संधारित रजिस्टर की जाँच करने में हुई विफलता के कारण व्यवसायियों से ₹ 4.17 करोड़ का कम राजस्व प्राप्त हुआ।

हमने शासन/विभाग को उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित किया (जून 2012)। उत्तर में विभाग ने कहा (सितम्बर 2012) कि ट्रेड टैक्स की वसूली हेतु एक अधिसूचना जारी की गयी है। आगे विभाग ने ₹ 22.63 लाख की ट्रेड टैक्स की वसूली की है (दिसम्बर 2012)

**हम यह अनुशंसा करते हैं कि विभाग व्यवसायी द्वारा विक्रीत वाहनो का विवरणी/ विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में क्षे प अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु जोर देवे ताकि ट्रेड टैक्स में कम वसूली को रोका जा सके।**

[9] क्षे प अ अम्बिकापुर, बिलासपुर, एवं रायपुर, अति क्षे प अ दुर्ग, जि प का धमतरी, कवर्धा एवं महासमुंद